उल्लंघन भूखंडों की रजिस्ट्री पर तत्काल रोक, एफआईआर दर्ज कराने के आदेश

अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का सबसे बड़ा प्रहार

अपर कलेक्टर के विस्तृत आदेश में कॉलोनी विकास नियमों के गंभीर उल्लंघन की पुष्टि, बिना अनुमति भूमि का विभाजन कर बेचे गए प्लॉट, नगर पालिका को दाण्डिक कार्रवाई के निर्देश; मामले में प्रशासनिक जवाबदेही पर भी उठे सवाल

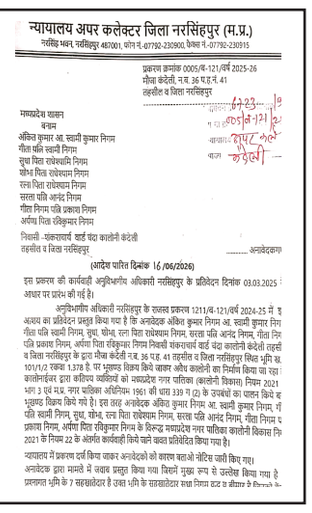
न्यायालय अपर कलेक्टर जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
नरसिंह भवन, नरसिंहपुर 487001, फोन नं.-07792-230800, फैक्स नं.-07792-230915

प्रकरण क्रमांक 0005/अ-121/वर्ष 2025-26
मौजा कंदेली, न.ह. 36 प.ह.नं. 41
तहसील व जिला नरसिंहपुर

मध्यप्रदेश शासन
बनाम
अजित कुमार अ. स्वामी कुमार निगम
गीता पति स्वामी निगम
सुधा पिता राधेश्याम निगम
शोभा पिता राधेश्याम निगम
रला पिता राधेश्याम निगम
सरला पति आनंद निगम
गीता निगम पति प्रकाश निगम
अर्पणा पिता रविकुमार निगम

निवासी - शंकराचार्य वार्ड चंदा कालोनी कंदेली
तहसील व जिला नरसिंहपुर ..... अनावेदकगण

(आदेश पारित दिनांक 16 /06/2026)

इस प्रकरण की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के प्रतिवेदन दिनांक 03.03.2025 के आधार पर प्रारंभ की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के राजस्व प्रकरण 1211/अ-121/वर्ष 2024-25 में इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है कि अनावेदक अजित कुमार निगम अ. स्वामी कुमार निगम गीता पति स्वामी निगम, सुधा, शोभा, रला पिता राधेश्याम निगम, सरला पति आनंद निगम, गीता निगम पति प्रकाश निगम, अर्पणा पिता रविकुमार निगम निवासी शंकराचार्य वार्ड चंदा कालोनी कंदेली तहसील व जिला नरसिंहपुर के द्वारा मौजा कंदेली न.ह. 36 प.ह. 41 तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित भूमि ख. 101/1/2 रकबा 1.378 है. पर भूखण्ड विक्रय किये बगैर अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा कालोनीकरण द्वारा कंदिल व्यक्तियों को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 भाग 3 एवं म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 ग (2) के उपबंधों का पालन किये बगैर भूखण्ड विक्रय किये गये है। इस तरह अनावेदक अजित कुमार निगम अ. स्वामी कुमार निगम, गीता पति स्वामी निगम, सुधा, शोभा, रला पिता राधेश्याम निगम, सरला पति आनंद निगम, गीता निगम पति प्रकाश निगम, अर्पणा पिता रविकुमार निगम के विरूद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका कालोनी विकास नियम 2021 के नियम 22 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने बाबत प्रतिवेदित किया गया है।

न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया पाकर अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। अनावेदक द्वारा मामले में जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है प्रकरणगत भूमि के 7 सहखातेदार है उक्त भूमि के सहखातेदार सचिन निगम ठट्ट व श्रीराम के विरुद्ध अ-

नरसिंहपुर। जिले में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध चल रही कार्रवाई के बीच मौजा कंदेली स्थित एक कॉलोनी पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए शेष भूमि के भूखंडों के विक्रय एवं पंजीयन (रजिस्ट्री) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित विस्तृत आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संबंधित कॉलोनाइजरों ने सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमति, कॉलोनी लाइसेंस एवं विकास अनुज्ञा प्राप्त किए बिना भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया तथा कॉलोनी विकसित की। आदेश में इसे मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन माना गया है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, संबंधित अभिलेखों, पक्षकारों के जवाब एवं उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूमि पर कॉलोनी विकसित करने के लिए आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। कॉलोनी के लिए सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत ले-आउट, विकास अनुज्ञा, कॉलोनी लाइसेंस, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग की स्वीकृति सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच में यह भी पाया गया कि कॉलोनी में सड़क, आंतरिक एवं बाह्य नालियां, वर्षा जल निकासी, पेयजल व्यवस्था, पार्क, सार्वजनिक उपयोग की भूमि तथा अन्य मूलभूत नागरिक सुविधाओं का समुचित विकास नहीं किया गया। आदेश में कहा गया है कि केवल भूखंडों का विक्रय कर देना कॉलोनी विकास नहीं माना जा सकता तथा बिना आधारभूत सुविधाओं के प्लॉट बेचना सीधे-सीधे कॉलोनी विकास नियमों का उल्लंघन है। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के भाग-3 के नियम 22 एवं नियम 26 के अंतर्गत इस प्रकार की गतिविधियां दण्डनीय हैं। साथ ही मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग के प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रकरण में अंकित कुमार निगम, गीता निगम, सुधा निगम, शोभा निगम, रला निगम, सरला निगम, गीता निगम तथा अर्पणा निगम को अनावेदक बनाया गया था। सुनवाई के दौरान इनके द्वारा प्रस्तुत जवाबों में यह तर्क दिया गया कि भूमि सहखातेदारों की थी तथा आवश्यकता के कारण अपने हिस्से के प्लॉट बेचे गए, लेकिन न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों और मौके की स्थिति के आधार पर इन दलीलों को पर्याप्त नहीं माना।

रजिस्ट्री पर रोक, एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश

अपर कलेक्टर ने आदेश दिया है कि संबंधित भूमि के शेष हिस्से पर किसी भी प्रकार के भूखंड विक्रय एवं पंजीयन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। इसके साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर को निर्देशित किया गया है कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग के तहत संबंधित कॉलोनाइजरों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराकर दाण्डिक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अब प्रशासनिक जिम्मेदारी पर भी उठ रहे गंभीर प्रश्न

इस कार्यवाही के बाद प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि कॉलोनी बिना अनुमति विकसित हो रही थी, वर्षों तक प्लॉटों का विक्रय होता रहा और मूलभूत सुविधाओं के बिना निर्माण कार्य चलता रहा, तो संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय रहते कार्यवाही क्यों नहीं की गई। यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इतनी लंबी अवधि तक अवैध गतिविधियां प्रशासन की नजरों से कैसे ओझल रहीं। हालांकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उपलब्ध आदेश में किसी वरिष्ठ अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही किसी अधिकारी को संरक्षण देने का उल्लेख किया गया है। यदि किसी अधिकारी की भूमिका या लापरवाही के संबंध में आरोप हैं, तो उनकी पुष्टि सक्षम जांच, न्यायिक आदेश या आधिकारिक दस्तावेजों से ही की जा सकती है।

प्रशासन का सख्त संदेश

विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश जिले में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध भविष्य की कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। इससे स्पष्ट संकेत गया है कि बिना वैधानिक अनुमति, बिना आधारभूत सुविधाओं और बिना कॉलोनी लाइसेंस के भूमि का विभाजन एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध न केवल संपत्ति संबंधी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, बल्कि आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने भी संकेत दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य मामलों की भी जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

बरगद पर सात फुट लंबा सांप

नवभारत/ तेंदूखेड़ा। इन दिनों उमस भरी गर्मी के चलते जहां आम जनजीवन अस्त-व्यस्त बना हुआ है वहीं जीव जंतु भी बिलों से निकल कर यहां वहां भाग रहे हैं। ऐसा ही उदाहरण विगत दिवस तेंदूखेड़ा के पुजारी मुहल्ला में स्थित एक विशाल बरगद के वृक्ष पर देखने को मिला जहां एक सात फुट लंबा सांप दिखा।जिसे देखकर लोगों में कौतूहल का विषय बन गया। सुरक्षा की दृष्टि से लोगों ने जानकार लोगों को बुलाकर सांप को पकड़वा कर उसे सुरक्षित जंगल में छुड़वाकर राहत की सांस ली।

हरसिद्धि मंदिर पहुंच मार्ग पर कटीली झाड़ियां

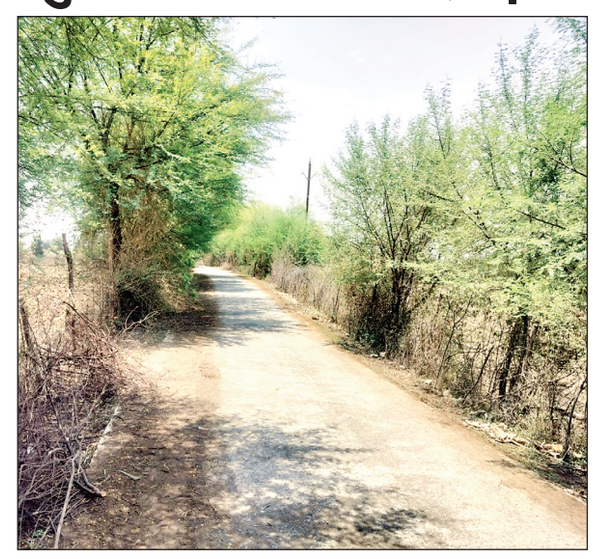

नवभारत/ तेंदूखेड़ा। तेंदूखेड़ा क्षेत्र का प्रतिष्ठित जन आस्था का केंद्र बन चुका हरसिद्धि मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग 45 तरफ से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पहुंच मार्ग इन दिनों बदहाली का शिकार है। सड़क के दोनों किनारों पर अत्यधिक मात्रा में कटीली झाड़ियों ने न केवल सड़क को संकरा कर दिया है।बल्कि वाहन चालकों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। विशेषकर चार पहिया वाहनों को क्रॉसिंग के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने बताया कि यह सड़क हरसिद्धि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के साथ-साथ एनएच 45 तक पहुंचने के लिए एक प्रमुख रास्ता है। लेकिन लंबे समय से सड़क किनारे की झाड़ियों की छंटाई न होने के कारण स्थिति विकट हो गई है। झाड़ियाँ सड़क पर फैल गई हैं। वाहन चालकों का कहना है कि जब दो चार पहिया वाहन आमने-सामने से आते हैं। तो उन्हें पास देने के लिए झाड़ियों के बेहद करीब से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कटीली झाड़ियों से वाहनों पर स्क्रेच आने और शीशे टूटने का खतरा तो रहता ही है। साथ ही वाहन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। क्षेत्रवासियों ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का शीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने जल्द ही सड़क के दोनों ओर फैली कटीली झाड़ियों की सफाई और छंटाई करवाने का आग्रह किया है ताकि इस मार्ग पर आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सके।

स्टेशन मार्ग में शासकीय भूमि पर लगातार बढ़ रहा अतिक्रमण

प्रशासन की अनदेखी जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल

नवभारत/ गाडरवारा। यदि किसी बीमारी का समय रहते उपचार कर दिया जाए तो उसके गंभीर रूप लेने की संभावना काफी हद तक समाप्त हो जाती है, लेकिन यदि उसे लगातार नजरअंदाज किया जाए तो वह धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर लेती है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों गाडरवारा नगर में शासकीय भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण का देखने को मिल रहा है। नगर के प्रमुख मार्गों और खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे कब्जों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की निष्क्रियता लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार नगर के रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर बी टी आई स्कूल से लेकर पावर हाउस तक तथा आसपास स्थित शासकीय भूमि पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। यहां खाली पड़ी सरकारी जमीन पर अस्थायी टेंट, दुकानें और अन्य निर्माण खड़े किए जा रहे हैं। धीरे-धीरे यह अतिक्रमण स्थायी रूप लेता जा रहा है, जिससे भविष्य में सरकारी भूमि को मुक्त कराना और भी कठिन हो सकता है। विडंबना यह है कि जिस मार्ग से प्रतिदिन तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग और नगर प्रशासन के अधिकारी गुजरते हैं, उसी मार्ग पर खुलेआम सरकारी भूमि पर कब्जा होता दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं किए जाने से लोगों में यह धारणा बन रही है कि अतिक्रमणकारियों को कहीं न कहीं मौन संरक्षण प्राप्त है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन समय-समय पर अतिक्रमण हटाने के अभियान तो चलाता है, जिन पर सरकारी धन भी खर्च होता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर उसी स्थान पर कब्जे शुरू हो जाते हैं। इससे कार्यवाही की गंभीरता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का मानना है कि यदि प्रारंभिक स्तर पर ही सख्त कार्यवाही की जाए तो शासकीय भूमि को सुरक्षित रखा जा सकता है। नगरवासियों ने जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर पालिका से मांग की है कि स्टेशन मार्ग सहित नगर की सभी शासकीय भूमि का सर्वे कराकर स्थायी रूप से अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही भविष्य में दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए नियमित निगरानी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए, ताकि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

एक नजर में

भाजपा सोशल मीडिया विभाग के जिला सह संयोजक बने अभिषेक सोनी

नवभारत/गोटेगांव। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपते हुए अभिषेक सोनी को सोशल मीडिया विभाग का जिला सह संयोजक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर जिले के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक सुयश त्यागी, जिला प्रभारी शरद जैन, पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष रामस्नेही पाठक एवं नगर मंडल अध्यक्ष अंजनी दीपक सोनी की सहमति से अभिषेक सोनी को यह दायित्व सौंपा गया है। अभिषेक सोनी की नियुक्ति पर ओम दुबे, मुकेश कुशवाहा, नीलेश नेमा, नारायण सोनी, सत्य सिंह पटेल, विनायक एवं अभिषेक भैया मित्र मंडली के सभी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दीं। इसके साथ ही रघुनाथ राय दीपक सराठे कंछेदी पटेल संजू चौहान आशीष साहू ओम प्रकाश साहू, दीपक राय नरेंद्र चडार निखिल खटीक सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भी अभिषेक सोनी को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नवनियुक्त जिला सह संयोजक अभिषेक सोनी ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन के विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने का कार्य पूरी निष्ठा से करेंगे।

हर्षोल्लास से मनाई गई कबीरदास जयंती

नवभारत/ गोटेगांव। समाज को नई दिशा और दशा देने वाले महान कवि व दार्शनिक परम पूज्य संत कबीरदास जी की जयंती ग्राम मुरदई पडारिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन चिन्तामन मेहरा के निज निवास, ग्राम पडारिया में संत कबीर मेहरा झारिया संगठन द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्राम एवं आसपास के क्षेत्र के समाजजनों ने बड़ी संख्या में सहभागिता कर संत कबीर के दोहों और विचारों का स्मरण किया। कार्यक्रम में एम.के मेहरा नुधराज मेहरा प्रमोद झारिया गणेश झारिया, बेनी झारिया सहित संगठन के पदाधिकारी एवं अनेकों ग्रामवासी शामिल हुए। वक्ताओं ने कबीरदास जी के जीवन दर्शन, सामाजिक समरसता और कुरीतियों के खिलाफ उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। आयोजकों ने कहा कि कबीर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साईखेड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल

नवभारत/ साईखेड़ा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साईखेड़ा में मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। जानकारी के अनुसार अस्पताल की ओपीडी का समय शाम 5:00 बजे निर्धारित है, लेकिन शाम 5:30 बजे तक भी कोई डॉक्टर ओपीडी में उपस्थित नहीं था। इस दौरान मरीज उपचार के लिए लाइन में इंतजार करते रहे, जबकि ओपीडी की कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। मरीजों और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों के समय पर उपस्थित नहीं होने से उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि ओपीडी निर्धारित समय पर संचालित नहीं होगी तो मरीजों को समय पर इलाज कैसे मिल सकेगा। क्षेत्रवासियों ने स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार, डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।

नहीं रहे लखन अग्रवाल

नवभारत/ तेंदूखेड़ा। विगत दिवस नगर के प्रतिष्ठित चौधरी परिवार के सतीश अग्रवाल के ज्येष्ठ पुत्र एवं शिवशंकर अग्रवाल गोलू के बड़े भाई लखन अग्रवाल का लंबी बीमारी के उपरांत दुखद निधन हो गया। जिन्हें नगर के सभी वर्गों के लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अंतिम विदाई दी।

पल्स पोलियो अभियान में जनप्रतिनिधियों ने निभाई सक्रिय भूमिका, बच्चों को पिलाई जीवनरक्षक दवा

नवभारत/ गाडरवारा। राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार को गाडरवारा क्षेत्र सहित जिलेभर में विशेष पोलियो बूथों पर पाँच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की जीवनरक्षक खुराक पिलाई गई। अभियान में स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने सक्रिय सहभागिता निभाते हुए बच्चों को दवा पिलाई और अभिभावकों को जागरूक किया। जिला पंचायत सदस्य धनंजय पटेल ने अपने क्षेत्र के पोलियो बूथ पर पहुँचकर बच्चों को अपने हाथों से पोलियो की दो बूंद पिलाई। उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक बच्चे को समय पर पोलियो की खुराक अवश्य दिलाएँ, ताकि स्वस्थ एवं पोलियो मुक्त भारत का सपना साकार हो सके।

तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है..

नवभारत/ करेली। नगर में संगीत क्षेत्र की प्रतिभाशाली संस्था नाँन प्रोफेशनल करेली सिंगिंग ग्रुप द्वारा गीत संध्या कार्यक्रम का आयोजन गत रविवार को वरिष्ठ गायक राजेश सोनी निवास पर आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती जी के चित्र पर पुष्पार्चन किया गया तदुपरांत गीत संध्या में कलाकारों ने सदाबहार नगमों की प्रस्तुति देकर रंग जमाया। कार्यक्रम में नगर के राकेश बकुर ने अंखियों के झरोखों से कहीं...पंकज गुप्ता राईस ने तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है...नीलेश नायक ने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर..विजय बकुर ने गज़ल इंतहा आज इश्क की कर दी आपका नाम जिंदगी कर दी..अनुराग अग्रवाल ने तुम मिले दिल खिले प्यार हमारा अमर रहेगा.. कौशल नेमा ने तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम अवनीश गुप्ता आमगांव बढ़ा ने मेरी उम्र के नौजवानों दिल ना लगाना ओ दीवानों अनुराग जैन ने तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना

नरसिंहपुर। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग नरसिंहपुर ने बताया कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत महिला सशक्त वाहिनी अभियान के तहत कक्षा 12 उत्तीर्ण बालिकाओं को पुलिस भर्ती सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की लिखित एवं शारीरिक परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इस वर्ष का प्रशिक्षण के लिए कक्षाएं माह जुलाई 2026 से प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने इस प्रशिक्षण के लिए पहले आए- पहले पाए के आधार पर कुल 100 बालिकाओं का पंजीयन किया जाएगा। जिले की इच्छुक छात्राएं कार्यालय कलेक्टर के कक्ष क्रमांक 77 में स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास नरसिंहपुर के कार्यालयीन समय में पंजीयन करा सकती हैं। पंजीयन के लिए एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की अंकसूची की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। लिखित परीक्षा की तैयारी शासकीय महिला महाविद्यालय नरसिंहपुर के सभाकक्ष में एक बजे तक कराई जाएगी। इसमें छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम अनुसार सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य बुद्धि/तर्कशक्ति एवं सामान्य अंग्रेजी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विधायक कार्यालय जन विश्वास सदन का शुभारंभ

नवभारत/गोटेगांव। विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से विधायक महेंद्र नागेश के स्टेशन रोड स्थित नवनिर्मित कार्यालय %जन विश्वास सदन का शुभारंभ रविवार को किया गया। मध्यप्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मंत्री प्रहलाद पटेल, विधायक महेंद्र नागेश सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि जन विश्वास सदन नाम ही बताता है कि यह कार्यालय जनता के विश्वास का प्रतीक बनेगा। विधायक महेंद्र नागेश 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विधायक महेंद्र नागेश ने कहा, यह कार्यालय मेरा नहीं, बल्कि गोटेगांव की जनता का है। जन विश्वास सदन सदैव क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित रहेगा और जनसेवा, विकास तथा जनकल्याण के कार्यों का एक सशक्त केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि मन की बात सुनकर सभी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। कार्यक्रम में एसडीएम गोटेगांव, तहसीलदार, जनपद सीईओ, नपा सीएमओ सहित समस्त विभागों के अधिकारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष, विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच-सचिव एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे।

लाइनमैन पर किसान ने किया प्राण घातक हमला विद्युत कर्मियों में भारी आक्रोश, दंडात्मक कार्यवाही

नवभारत/गोटेगांव। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के करकबेल वितरण केंद्र में पदस्थ सहायक लाइनमैन पर ड्यूटी के दौरान किसान द्वारा लाठी से हमला करने का मामला सामने आया है। बिजली चोरी की जांच के दौरान हुई इस घटना से विद्युत कर्मियों में भारी आक्रोश है। जानकारी के अनुसार, सहायक लाइनमैन बसंत लोधी अपने वरिष्ठ अधिकारी और दो अन्य साथियों के साथ ग्राम खापा पहुंचे थे। कई दिनों से क्षेत्र में अवैध रूप से बिजली चोरी की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान टीम मूलचंद नाम के किसान के खेत पर पहुंची। यहां अवैध रूप से बिजली से पंप और घर चलता पाया गया। टीम ने किसान से वैध कनेक्शन होने पर बिजली बिल दिखाने को कहा। इसी बात पर किसान भड़क गया और गाली-गलौज करते हुए लाठी उठाकर सहायक लाइनमैन बसंत लोधी पर हमला कर दिया। किसान ने लाठी से लगातार दो बार वार किए, जिससे लाइनमैन घायल हो गए। साथी कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर उन्हें बचाया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत विभाग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

नगर साईखेड़ा में पहली बार दिव्य महादरबार एवं गौ कथा का होगा आयोजन

साईखेड़ा। नगर साईखेड़ा में पहली बार तीन दिवसीय दिव्य महादरबार एवं दिव्य गौ कथा का भव्य आयोजन 11, 12 एवं 13 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य ब्रज बिहारी सरकार श्री अनिकेत कृष्ण जी महाराज गौ महिमा, सनातन संस्कृति एवं धर्म से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रवचन देंगे। आयोजन को लेकर नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। आयोजन समिति ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ 11 जुलाई को दोपहर 12 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ होगा। कलश यात्रा श्री दादाजी धूनी वाले के द्वार गढ़ी से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जैन धर्मशाला तक पहुंचेगी। यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। इसके पश्चात 11, 12 एवं 13 जुलाई को प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जैन मंदिर के पास स्थित जैन धर्मशाला, साईखेड़ा में दिव्य महादरबार एवं दिव्य गौ कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा के माध्यम से गौ सेवा, भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म एवं सामाजिक मूल्यों का संदेश दिया जाएगा। आयोजन के संयोजक पंडित अनुराग भार्गव, संस्थापक श्री हरि शरणम् सेवा संस्थान, ने समस्त नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों से इस धार्मिक आयोजन में परिवार सहित उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि यह आयोजन नगर में पहली बार हो रहा है और इसे सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन समिति ने सभी श्रद्धालुओं से समय पर पहुंचकर कलश यात्रा एवं कथा में सहभागिता करने का आग्रह किया है।

पल्स पोलियो अभियान

साईखेड़ा। जनपद पंचायत साईखेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत मुआर में रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ ग्राम पंचायत के सरपंच अनिल चौधरी द्वारा बच्चों को पोलियो की दो बूंद पिलाकर किया गया। इस अवसर पर सरपंच चौधरी ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि पांच वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं, ताकि कोई भी बच्चा इस गंभीर बीमारी से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने में सभी की सहभागिता आवश्यक है।

वर्षा जल संचयन प्रणाली का निर्माण, 50 हजार लीटर क्षमता से बढ़ेगा भूजल स्तर

नवभारत/गोटेगांव। विगत दिवस शासकीय ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली का सफल निर्माण कराया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जल संकट को कम करना और भूजल स्तर में वृद्धि करना है। वाटर हार्वेस्टिंग समिति ने छतों एवं आंगन से बारिश के पानी को पाइप लाइन के माध्यम से भूमिगत टैंक तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। लगभग 50 हजार लीटर क्षमता वाली इस प्रणाली के शुरू होने से परिसर में हरित क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। महाविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि यह प्रणाली न सिर्फ कॉलेज परिसर के लिए लाभदायक होगी, बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी जल संरक्षण का संदेश देगी। भविष्य में छात्र-छात्राओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए।